





## एल्बेडाजोल टेबलेट खाते ही बीमार पड़ीं तीन दर्जन स्कूली छात्राएं

आशा कार्यकर्ताओं द्वारा पेट दर्द रोकने के लिए खिलाई गई थी गोлияं

सीधी। शहर के समीपस्थ शासकीय मॉडल स्कूल खजुरी में आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को पेट दर्द से निजात दिलाने के लिए एल्बेडाजोल टेबलेट खिलाया गया। जिससे कि दवा खाते ही तीन दर्जन से ज्यादा छात्राओं के पेट व सीने में दर्द होना शुरू हुआ जिन्हें कि उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। इस दौरान भारी संख्या में छात्राओं के परिजन एवं जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति होने सहित लापरवाही को लेकर नाराजगी भी देखी गई। वहीं अस्पताल में चौक-पुकार भी शुरू हो गया था।

Shot On Omnia 5 10/10 16:45

नौबत आई है। मामले में जांच से बड़ा खुलासा हो सकता है। इसमें स्वास्थ्य मामले की लापरवाही मानी जा सकती है। कारण यह कि यह दवा जिला चिकित्सालय से उपलब्ध कराई गई थी। जिसमें कि अस्पताल के डॉक्टर नहीं पहुंचे बल्कि आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं द्वारा टेबलेट खिलाए जाने का काम किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही नगर निरीक्षण कोतवाली अभिषेक उपाध्यक्ष द्वारा एंबुलेंस को सूचना देकर सभी छात्राओं को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराने के लिए लाया गया। इस संबंध में जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ. दीपारानी इसरानी ने बताया कि जितनी छात्राएं यहां उपचार के लिए आई हैं सब खतरे से बाहर हैं। इनका उपचार होने के बाद जल्द स्वस्थ हो जाएंगी।

खुली गोлияं खिलाने की मिल रही शिकायतें

अस्पताल में भर्ती अधिकतर छात्राओं ने बताया कि हमें खुली गोлияं खिलाई गई हैं। जिसमें कि टेबलेट एक्सपायरी डेट था या नहीं यह तो जांच का विषय है लेकिन खुली गोлияं खिलाने की शिकायत मिली है। इस दौरान यहां के प्राचार्य एवं शिक्षक भी मौजूद नहीं थे। जबकि प्राचार्य का

दायित्व होता है कि गोлияं की जांच परख कराने के बाद बच्चों को खिलाने की अनुमति दी जाए।

एसडीएम सहित तमाम प्रशासनिक अमला भी रहे मौजूद

घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम नीलेश शर्मा, तहसीलदार जानकी शुक्ला, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल मिश्रा, सिविल सर्जन डॉ.

## जांच के बाद की जाएगी दोषियों पर कार्यवाही: डीईओ

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. प्रेमलाल मिश्रा ने कहा कि शासन स्तर से कौटनाशक दवाई खिलाने का पूरे जिले में अभियान के तहत खजुरी विद्यालय में भी दवा खिलाई गई थी। क्या वजह है कि कई छात्राओं को सीने में दर्द होने के कारण अस्पताल में आना पड़ा यह जांच का विषय है। कहां चूक हुई इसकी विवेचना की जाएगी। एक जवाब में डीईओ ने कहा कि प्राचार्य महेंद्र प्रसाद शुक्ला एवं शिक्षक वहां क्यों नहीं थे यह जांच करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले के अन्य विद्यालय में टेबलेट खिलाया गया कहीं शिकायत नहीं मिली यहाँ कैसे गड़बड़ी हुई जांच कराई जाएगी।

दीपारानी इसरानी सहित अस्पताल के डॉक्टर एवं सांसद प्रतिनिधि डॉ. देवेन्द्र त्रिपाठी, जिला पंचायत प्रतिनिधि डॉ. अनूप मिश्रा सहित अन्य अमले मौजूद थे।

विद्यालय की यह

छात्राएं पहुंची अस्पताल

टेबलेट खाने के बाद सीने व पेट सहित सांस लेने में तकलीफ होने के बाद जिला चिकित्सालय पहुंचने वाली छात्राओं में बबिता तिवारी, प्रिया तिवारी, देवकी सेन, गोलू पाल, रूबी तिवारी, शिवानी तिवारी, तिथी तिवारी, साक्षी तिवारी, भूमि सिंह, सुहानी तिवारी, तनु द्विवेदी, अनुराधा तिवारी, अंजली पाल, अर्चना सोनिया, दीपिका तिवारी, पूर्णिमा गुप्ता, प्रिया तिवारी सहित अन्य छात्राएं हैं जो कि सभी छात्राएं 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं।

## लाखों की रायल्टी जमा न करने वालों पर गिरेगी कार्यवाही की गाज

खनिज विभाग द्वारा 9 के खिलाफ दी गई है नोटिस

सीधी। खनिज विभाग में लाखों की रायल्टी जमा न करने वालों पर खनिज विभाग अब एक्शन मोड में है। इस मामले में खनिज अधिकारी सीधी द्वारा 9 के खिलाफ पत्र क्रमांक 1290 दिनांक 5 सितंबर को नोटिस जारी कर उल्लेखित किया है कि सीधी जिले के उत्खनिजधारियों द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 26, 30, 42 का उल्लंघन किए जाने के मामले में 9 लोगों को कार्रवाई नोटिस जारी की गई है।



वैभव इन्फाटेक पर विभाग की मेहरबानी क्यों

यह भी जानकारी मिली है कि खनिज विभाग द्वारा 9 के खिलाफ नोटिस जारी की गई है लेकिन बहरी तहसील अंतर्गत वैभव इन्फाटेक की लंबी रकम बकाया है लेकिन इन पर नोटिस नहीं जारी की गई है। आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने बताया कि विभाग की यह नोटिस दो तरह से मानी जा सकती है। जबकि वैभव इन्फाटेक द्वारा राशि नहीं जमा की जा रही है फिर भी उन पर कार्यवाही की नोटिस क्यों जारी नहीं की गई।

माह भर का दिया गया है समय : रॉय

इस संबंध में प्रभारी जिला खनिज अधिकारी एके राय ने बताया कि रॉयल्टी जमा न करने वालों को लेकर नोटिस जारी कर दी गई है जिन्हें कि माह भर का समय दिया गया है। यदि राशि नहीं जमा करते तो उत्खनन पट्टों को निरस्त किया जाएगा। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

## निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित

सीधी। ऋषिकेश फाउंडेशन द्वारा ऋषिकेश आश्रम बड़ा बांध हनुमानगढ़ में दो वर्षों से अधिक से निरंतर हर माह की दस तारीख को निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस श्रृंखला में छद्मिवासा शिविर था। आज के शिविर में सभी आंगणवाड़ी को जलपान करवाया गया। इसके बाद पिछले माह जिन मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया था उनका फालोअप चेकप कर निःशुल्क चर्च में वितरित किए गए।

गए। फिर चिकित्सकों द्वारा नए मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत आवश्यकता अनुसार निःशुल्क आई ड्रॉप वितरित किए गए। जिन मरीजों को जरूरत थी उन्हें मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन हेतु चित्रकूट रवाना किया गया। शिविर में पहुंचे सभी आंगणवाड़ी को फल और बिस्किट भेंट किए गए। चित्रकूट जाने वाले सभी मरीजों को फल और बिस्किट के साथ भोजन के पैकेट भी भेंट किए गए। इस शिविर के माध्यम से समाज का सर्वाधिक उपेक्षित और जरूरतमंद तपका लाभ पता है। यही ऋषिकेश फाउंडेशन के सेवादारों के प्रयासों की सार्थकता भी है। ऋषिकेश फाउंडेशन परिवार सभी मरीजों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ लाभ की कामना करता है।

## अंशुमन राज होंगे जिला पंचायत के नवागत सीईओ

सीधी। राज्य शासन द्वारा हाल ही में ही जिला पंचायत सीईओ रहे राहुल धोटे का स्थानांतरण कर दिया गया था। जहां कि अब नरसिंगगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी अंशुमन राज को जिला पंचायत सीधी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। जाहिर है कि जिला पंचायत में भारी फर्जीबाड़ी सहित अन्य मामले की शिकायतें लंबे असें से हैं। अब उनके पदभार लेने के बाद क्या कसावट की जाएगी इसका इंतजार सभी को है।

## जादू टोने के शक में युवक ने महिला से की मारपीट

सीधी। जिले के कुसमी आदिवासी अंचल के थाना क्षेत्र कुसमी अंतर्गत अक्सर जादू टोना की शक वस मारपीट की घटना निकलकर आती है। सुनाई देती है लेकिन घटना को अंजाम देने वाले व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही नहीं होने पर ऐसे व्यक्ति आर्येदिन मारपीट की घटना को अंजाम देते आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मामला सीधी जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के जूरी गांव से निकलकर सामने आई है। जहां जूरी निवासी गुडिया सिंह पति

शिवकरण सिंह उम्र 35 वर्ष कुसमी थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दिनांक 6 सितंबर 2024 को रात करीबन 11 बजे वह घर से बाहर निकली थी तो उसका दूर का रिश्तेदार देवर अजय सिंह पिता मान सिंह उसके घर के बगल में एक व्यक्ति के साथ बैठा था और आपस में बात कर रहे थे। तभी मैं बाहर निकली तो मुझे मां-बहन की गाली देने लगा जो मुझे सुनकर बुरा लगा। तब मैं गाली देने से मना की तो बोलने लगा कि तुम मेरे गाड़ी में

जादू टोना लगाती हो अपना जादू-टोना वापस कर लो, यह कहते हुए मेरे घर के बाहर हाथ में डण्डा लिए आया और डंडा से मारपीट करने लगा और उसके साथ मैं बैठा व्यक्ति जिन्हें मैं नहीं पहचानती हूं वह वहां से चला गया। हल्ला गूहारा करने पर मेरी लड़की जिया सिंह व पति शिवकरण सिंह घर से बाहर निकले, वह मुझे मार कर अपने घर जाने लगा, वह बोला कि मैं अपना जादू-टोना वापस नहीं लेती तो जान से खत्म कर देगा।

मारपीट करने से महिला के सर एवं बाएं आंख के ऊपर गंभीर चोट लगी है। जिसकी रिपोर्ट कुसमी थाने पर हो चुकी है और पुलिस महिला का मेडिकल काराकर कार्यवाही में जुट गई है। सवाल यह उठता है कि यदि महिला के सर पर यदि गंभीर चोट लग जाती तो महिला की मृत्यु भी हो सकती थी। ऐसे में कुसमी पुलिस जादू-टोने जैसे गंभीर मामलों पर कैसी कार्यवाही करती है यह अगले अंक में प्रकाशित किया जायेगा।

## मधुकर प्रसाद पाण्डेय को मिली पीएचडी की उपाधि

सीधी। जिले के रामपुर नैकिन तहसील अंतर्गत गड़हरा निवासी मधुकर प्रसाद पाण्डेय पिता सुधाकर प्रसाद पाण्डेय को शिक्षाशास्त्र में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। मधुकर प्रसाद पाण्डेय ने शिक्षा शास्त्र में पीएचडी की उपाधि डॉ. पंकी मलिक के निर्देशन में दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय

संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राप्त की। पीएचडी शोध का विषय आरक्षितानारक्षित छात्राणा संस्कृतभाषाम् प्रति रूचेः समायोजन शंिक्षाकोषलविधनाम् तुलनात्मक अध्ययन है। इस उपलब्धि पर गांव एवं क्षेत्र के लोगों ने शुभकामनायें और बधाई दी। गांव का प्रथम बालक



है जिन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। मधुकर प्रसाद पाण्डेय को डॉयक्टरेट की डिग्री मिलने पर ऋषिराज मिश्रा उपाध्यक्ष जनपद पंचायत रामपुर नैकिन, श्रीमती सीमा पाण्डेय जनपद सदस्य भरतपुर, अरुण शंकर त्रिपाठी जनपद सदस्य शिकारगंज, विनोद चतुर्वेदी, राजेन्द्र सिंह बरगाही, नंद कुमार बैस, दिवाकर प्रसाद पाण्डेय, सुधाकर

प्रसाद पाण्डेय, शिवानंद पाण्डेय, नीलम पाण्डेय, नन्हे पाण्डेय, पुष्पेन्द्र त्रिपाठी, विष्णु शर्मा, बालेन्द्र शुक्ला, राजेन्द्र त्रिपाठी, प्रबल त्रिपाठी, राजीवलोचल पाण्डेय, राजेश पाण्डेय, अयोध्या सोनी, जमुना प्रसाद जायसवाल, गिरेन्द्र द्विवेदी, राजीवलोचन द्विवेदी, शंकर दयाल गौतम, अरुण शंकर त्रिपाठी, अजय पाण्डेय, आशुतोष शुक्ला आदि ने बधाई दी है।

## हिंदू जागरण मंच की बैठक संपन्न

सीधी। हिंदू जागरण मंच जिला सीधी द्वारा स्थानीय गोपालदास मंदिर में जिला बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें संगठन के आगामी कार्यक्रम, संगठन के विस्तार, संगठन की सभी इकाइयों के गठन एवम जिले में चल रहे हिंदुत्व विरोधी, देश विरोधी, सनातन विरोधी गतिविधियों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई। उक्त विषयों पर बारी बारी से डॉक्टर वर्षा गौतम,

उमा सिंह, रोहित तिवारी, अरुणेंद्र सिंह, संतोष पाठक, वीरेंद्र गुप्ता, उमा शर्मा, नीलेश शुक्ला, नितिन गुप्ता, डॉक्टर इंद्रबहादुर यादव, नरेंद्र यादव, संतोष विश्वकर्मा, सावित्री पटेल, रिकी तिवारी ने अपने विचार रखे। उक्त बैठक में मुख्य रूप से सुमित जायसवाल, विनोद सोनी, राजेंद्र द्विवेदी, संतोष गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, इरीश अर्वाधिया, धीरज अर्वाधिया, अनूप वर्मा,

अर्जात परिहार, करुण श्रीवास्तव, बलदेव वर्मा, हेमलता द्विवेदी, गीता तिवारी, सुधा मिश्रा, संंध्या नामदेव, रजनी अर्वाधिया, उमा वर्मा, सोनम गुप्ता, अंजली सोनी, विजय भारती सोनी, दीपमाला गुप्ता, उर्मिला गुप्ता, नेहा खत्री, संगीता कुशवाहा, पूजा सोनी, भावना मिश्रा, स्वैता चौहान, सोनम राजपूत, पूनम गौतम, साक्षी नामदेव, अनुराधा साकेत, गुडिया केवट मुख्य रूप से उपस्थित रही।

## जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी 174 आवेदकों की समस्याएं



सीधी। जनसुनवाई में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों से आए 174 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर के निर्देश पर आवेदकों को तत्काल पावती भी उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर श्री सोमवंशी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिन

आवेदन पत्रों में समय सीमा निर्धारित किया जाता है उसको तत्काल विभाग प्रमुख अपने संज्ञान में लेकर निराकरण कर संबंधित शिकायतकर्ता सूचित करें। कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई में हितग्राहीमूलक योजनाओं से संबंधित समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि योजनाओं के

क्रियान्वयन की प्रत्येक स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों की पहचान करें तथा उनका समाधान करते हुए प्रत्येक हितग्राही को पात्रानुसार लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री सोमवंशी ने कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करायें। इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज आयोजित जनसुनवाई में समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भी वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई से जुड़े रहे।

## पोषण माह की गतिविधियों का हुआ आयोजन

सीधी। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग आर सी त्रिपाठी ने जानकारी देकर बताया है कि पोषण माह के दौरान गुरुवार को सीधी जिला अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण माह की गतिविधियों का आयोजन किया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, गांव के सरपंच एवं अन्य महिलाओं की उपस्थिति रही। शासन के निर्देशानुसार जिले अंतर्गत पोषण माह का बड़ी धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी आंगनवाड़ियों में उचित पोषण बच्चों को मिलेगा तभी बच्चे देश को रोशन कर सकेंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि उन्हें उचित पोषण एवं शिक्षा देकर आगे बढ़ने के लिये तैयार करें। इसके साथ ही मिशन शांति के अंतर्गत कानूनी जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

## सीमेंट मजदूर यूनियन एकता सीटू ने मनाया मांग दिवस

सीधी। सीमेंट मजदूर यूनियन एकता सीटू ने आज 10 सितंबर 2024 को अल्ट्राटेक सीमेंट वर्क्स मझिगवा में मांग दिवस मनाते हुए मांगों का ज्ञापन यूनित हेड के नाम से सौंपा। अध्यक्ष तेज प्रताप दुबे, कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद सिंह बघेल, महामंत्री विक्रम डूक्षसह के नेतृत्व में 6 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया। सौंपे गए मांगपत्र में कहा गया है कि स्थाई प्रकृति की नौकरियों में टेका श्रम प्रणाली को समाप्त करें और जब तक यह न हो टेका श्रम केंद्रीय नियम 1971 की धारा नियम 25 (2)(बी)(ए) के प्रावधानों और 26 अक्टूबर 2016 को सिविल अपील संख्या 213/2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति एसए बोबडे के अनिवार्य निर्णय के अनुसार समान नौकरियों के लिए



समान वेतन निश्चित करें। टेका श्रमिकों को नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करें, टेकेदार बदलने पर भी श्रमिकों को नहीं बदला जाएगा। स्थाई और बारहमासी प्रकृति की नौकरियों की आउटसोर्सिंग और टेकेदारी बंद की जाए। मिनी सीमेंट प्लांट में काम करने वाले श्रमिकों को अनुसूचित रोजगार के रूप में अधिसूचित किया जाए और उनके

लिए न्यूनतम वेतन अधिसूचना जारी की जाए। न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए सुनिश्चित किया जाए। ई एण्ड पी स्टॉफ को यूटीसीएल का स्ट्राफ मानते हैं तो अन्य यूटीसीएल के कार्यखानों में मिलने वाली वेतन व सुविधाएं दी जाएं। मैप व अनमैप की भेदभाव पूर्ण अवैधानिक प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। सभी श्रेणी के श्रमिकों को इस वर्ष का बोनस

बढ़ाकर दिया जाए, क्योंकि आपके कार्यखाने को चलाते हुए 5 वर्ष के ऊपर हो चुका है और बोनस को लेकर पूर्व में यूनियन श्रम न्यायालय, पीठासीन अधिकारी सीधी के यहां प्रकरण गया था जिसमें आपके प्रतिनिधि द्वारा कहा गया था कि 5 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत हम बढ़ा हुआ बोनस के लिए यूनियन के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और देंगे।









# सिटी टाइम्स

विन्ध्य टाइम्स

सीधी, बुधवार 11 सितम्बर 2024

8

आनंद विभाग द्वारा  
कौटिल्य एकेडमी रीवा में  
आयोजित कार्यक्रम में  
सहायक कलेक्टर प्रशिक्षु  
आईएएस अधिकारी प्रपंज  
आर ने प्रतियोगी  
परीक्षाओं के विद्यार्थियों से  
संवाद किया।



## विन्ध्य क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर होगा रीवा एयरपोर्ट : उप मुख्यमंत्री

रीवा एयरपोर्ट को मिला डीजीसीए से संचालन लाइसेंस

रीवा। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि विन्ध्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए हवाई यात्रा का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। रीवा एयरपोर्ट को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा संचालन लाइसेंस प्रदान किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विन्ध्य क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रीवा एयरपोर्ट को आधिकारिक रूप से यात्री और मालवाहक विमानों की उड़ानों के संचालन की अनुमति प्राप्त हो गयी है।



रीवा एयरपोर्ट को डीजीसीए लाइसेंस पर मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री ने दी बधाई और व्यक्त किया आभार

रीवा। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा एयरपोर्ट को डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बधाई दी और आभार व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन में सतना के प्रभारी मंत्री एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजवर्गीय तथा रीवा के प्रभारी मंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण



से जल्द ही हवाई सेवाओं की शुरुआत होगी, जिससे स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि रीवा एयरपोर्ट का संचालन क्षेत्र के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे विन्ध्य क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति को भी एक नई दिशा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट विन्ध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा, साथ ही मध्य प्रदेश के आर्थिक विस्तार और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस लाइसेंस के साथ, रीवा

सांस्कृतिक प्रगति को भी एक नई दिशा मिलेगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विन्ध्य क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश के नागरिकों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किजरापु राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार माना है।

## मऊगंज में समीक्षा बैठक आज

रीवा। कलेक्टर सभागार मऊगंज में 11 सितम्बर को दोपहर बाद 3 बजे से समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव विकास योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा जिले के प्रभारी मंत्री के प्रस्तावित दीरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों को अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

## सहायक कलेक्टर सोनाली देव कार्यमुक्त

रीवा। शासन द्वारा रीवा जिले में पदस्थ सहायक कलेक्टर सोनाली देव का स्थानांतरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विद्याया जिला मण्डला के लिए किया गया है। इसके परिणाम में सुश्री सोनाली देव को 10 सितम्बर को अपरान्ह नवीन पदस्थापना में पदभार ग्रहण के करने के लिए भारमुक्त कर दिया गया है।

## मुख्यमंत्री का 17 सितंबर को चाकघाट आगमन प्रस्तावित



रीवा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आगामी 17 सितंबर को त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के चाकघाट आगमन प्रस्तावित है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कार्यक्रम स्थल कृषि उपज मंडी परिसर चाकघाट की निरीक्षण कर अधिकारियों को व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये। कलेक्टर ने आयोजन स्थल में हेलीपैड निर्माण के साथ ही मंच निर्माण सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने निर्देश दिये कि वर्षा की संभावना को देखते हुए मंच एवं आमजनता के लिए बनाये जाने वाले डोम को वाटरप्रूफ रखें। उन्होंने कार्यक्रम स्थल में आयोजित होने वाले स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में स्वच्छता मित्रों के लिए अलग से टेंट लगाने तथा स्वच्छता मित्रों के लिए आयोजित स्वास्थ्य शिविर में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने कार्यक्रम स्थल में मुख्य प्रवेश द्वार से आमजनता के प्रवेश सहित पार्किंग आदि की समुचित व्यवस्थाएं कराने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. सोनू सोनवणे, एसडीएम त्योंथर संजय जैन, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी मनोज द्विवेदी, सीईओ जनपद राहुल पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

## रायपुर कर्चुलियान में हैण्डपंप सुधार के लिए कर्मचारी तैनात

रीवा। बिगड़े हैण्डपंपों में सुधार के लिए रायपुर कर्चुलियान विकासखण्ड में सेक्टरवार कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इस संबंध में सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि उलही कला रघुराजगढ़ में जेके पाण्डेय मोबाइल नम्बर 9424354391, गुडू में रोधिका तिवारी मोबाइल नम्बर 6263552665 तथा नरहरा रघुराजगढ़ दिलीप शुक्ला मोबाइल नम्बर 92999830799 को तैनात किया गया है। इसी तरह बकठेरा, गगहरा तथा मनकहरी क्षेत्र के लिए अर्पित द्विवेदी मोबाइल

नम्बर 7697885502, इटौरा और सोनौरा क्षेत्र के लिए उपसेन पटेल मोबाइल नम्बर 9893759001 तथा पड़रा, लोहदवार क्षेत्र के लिए अशोक शर्मा 9302969562 को तैनात किया गया है। रायपुर कर्चुलियान में कार्यालय में यदुनाथ बौद्ध मोबाइल नम्बर 9229498445 तथा बरसैता क्षेत्र में वंशवर्धन पाण्डेय मोबाइल नम्बर 9098655026 को तैनात किया गया है। तैनात कर्मचारियों को दिए गए मोबाइल नम्बर पर बिगड़े हैण्डपंपों का सूचना देकर हैण्डपंपों का सुधार कराया जा सकता है।

## स्थानीय उप निर्वाचन के लिए प्रेक्षक नियुक्त

रीवा। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन 2024 अन्तर्गत नगर पालिक निगम रीवा, नगर परिषद सिरमौर एवं जिले के पंचायतों में होने वाले उप निर्वाचन के प्रेक्षण के लिए राजा सिंह परिहार, सेवानिवृत्त राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी को प्रेक्षक नियुक्त किया है। श्री परिहार का मोबाइल नम्बर 9406621016 है। प्रेक्षक श्री परिहार जिले में द्वितीय चरण में 15 सितंबर तक उपस्थित रहकर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए प्रेक्षक के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

## गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी : कमिश्नर

रीवा। सभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने शिक्षा विभाग के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास करें। शासकीय स्कूलों और छात्रावासों को इतना आकर्षक बनाएं कि उनमें प्रवेश के लिए बच्चे लालायित हों। शिक्षक विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से जीवंत संपर्क रखें। बच्चों को सही शिक्षा मिले तो वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। कमिश्नर ने कहा कि कक्षा

## एडमीशन में 45 से नीचे रैंक वालों की रुकेगी वेटनवृद्धि, 40 से नीचे वालों को नोटिस



एक में लक्ष्य के अनुसार बच्चों के प्रवेश की स्थिति संतोषजनक नहीं है। बच्चों के एडमीशन 30 सितम्बर तक पूरे किए जाने हैं। रीवा जिले में लक्ष्य के 62.2 प्रतिशत, सतना में 56.8 प्रतिशत, सिंगरीली में 63.5 प्रतिशत तथा सीधी में 53.21 प्रतिशत बच्चों का प्रवेश कक्षा एक में हुआ है। सीधी जिले की रैंकिंग 49वाँ तथा

सिंगरीली की 43वाँ रैंक है। कमिश्नर ने कहा कि विभिन्न मापदण्डों में प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में 45 से कम रैंक वाले अधिकारियों की वेटनवृद्धि रुकेगी। रैंक 40 से कम तो सभी को कारण बताओ नोटिस दें। हमें सौंपी गई जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाना है। शाला जाने योग्य हर बच्चे का शाला में प्रवेश कराएँ। इसमें समग्र आईटी, जन्म प्रमाण पत्र तथा अन्य बाधाओं को दूर करके सात दिवस में 75 प्रतिशत से अधिक की पूर्ति सुनिश्चित करें। टॉप टेन में आने वाले जिलों के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएँगे। कमिश्नर

ने कहा कि छूटे हुए बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर संपर्क करें। वंचित तथा गरीब वर्ग के हर बच्चे का अनिवार्य रूप से प्रवेश सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकारी तथा अन्य अधिकारी छात्रावासों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान छात्रावास की प्रकाश, पानी, भोजन, आवास, शांतालय, साफ-सफाई, पठन-पाठन व्यवस्था तथा सुस्वास्थ्य के संबंध में प्रतिवेदन दें। छात्रावास में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हर माह छात्रावास के विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जाँच कराएँ।

## लक्ष्य पर केन्द्रित रहें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं : सहायक कलेक्टर

रीवा। आनंद विभाग द्वारा कौटिल्य एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में सहायक कलेक्टर प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी प्रपंज आर ने प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों से संवाद किया। सहायक कलेक्टर ने कहा कि हर विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर केन्द्रित रहे तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं। हमें अपने जीवन में ऐसे कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो स्वयं को और दूसरों को

आनंदित कर सकें। प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न की जानकारी लेकर उसके अनुरूप टाइम टेबल बनाएं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार और दृढ़ संकल्प के साथ तैयारी करें। मन में किसी भी तरह का तनाव और निराशा को स्थान न बनाने दें। सहायक कलेक्टर ने कहा कि हर विद्यार्थी को सलाह देने वाले बहुत से लोग होते हैं। हमें अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से

अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। केवल अनुभवी व्यक्तियों की ही सलाह लें। किसी भी विषय में निर्णय अपने विवेक से करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बेहतरीन करने के लिए समूह चर्चा में भाग लें। आधुनिक सूचना संचार तकनीक का भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में पूरा उपयोग करें। लगातार अभ्यास और विषय के रिवीजन से अच्छी तैयारी होती है। प्रतियोगी

## प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन 30 सितंबर तक किये जा सकते हैं

रीवा। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन करने की तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गयी है। इससे पूर्व इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त निर्धारित थी। उप कल्याण आयुक्त श्रम कल्याण संगठन ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना के तहत वीडो एवं खदान श्रमिक बहुल्य क्षेत्रों में अध्ययनरत श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थान में संपर्क कर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन किये जा सकते हैं।

## वित्तीय अनियमितता करने वालों से होगी वसूली

रीवा। संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा रीवा जिले के विभिन्न स्कूलों की ऑडिट की गई थी। ऑडिट प्रतिवेदन के अनुसार कई स्कूलों में गंभीर वित्तीय अनियमितता पाई गई। संबंधित प्रभारी प्राचार्यों द्वारा शासन के नियमों के विरुद्ध व्यय की गई राशि की वसूली की जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता ने बताया कि वित्तीय अनियमितता करके व्यय की गई राशि वसूल करके कोषालय में जमा की जाएगी। विकासखण्ड जवा के शासकीय मॉडल उमावि के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य प्रदीप कुमार

द्विवेदी से 17 लाख 28 हजार 606 रुपए की वसूली की जाएगी। श्री द्विवेदी वर्तमान में शासकीय हाईस्कूल जवा के प्राचार्य हैं। विकासखण्ड गोवै के शासकीय हाईस्कूल कठेरी के तत्कालीन प्राचार्य श्रीलाल साकेत से 37924 रुपए तथा त्योंथर विकासखण्ड के शासकीय हाईस्कूल टंगहा के प्रभारी प्राचार्य मिटालाल से 9938 रुपए की वसूली की जाएगी। इसी विकासखण्ड में शासकीय हाईस्कूल अमिलिया पुवा के तत्कालीन प्राचार्य दिनकर प्रसाद पाण्डेय से एक लाख 97 हजार 141 रुपए की वसूली की जाएगी।

## संत रविदास योजना से 150 युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर

रीवा। अनुसूचित कल्याण विभाग जिला अन्त्यावसायी सहकारी समिति द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। विभाग द्वारा संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना से जिले के अनुसूचित जाति के 150 युवाओं को स्वरोजगार का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में अन्त्यावसायी सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमपी पाठक ने बताया कि योजना के तहत एक लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक ऋण एवं अनुदान स्वरोजगार उद्यम की स्थापना के लिए दिया जाता है। इस योजना से खाद्य प्रसंस्करण कोल्ड स्टोरेज मिलान प्रोसेसिंग, कृषि आधारित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। सेवा के क्षेत्र में फूटकर व्यवसाय जैसे ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत,

किराना व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय तथा अन्य दुकानों के लिए एक लाख से 25 लाख रुपए तक की राशि का प्रावधान है। श्री पाठक ने बताया कि अनुसूचित जाति के 18 से 45 आयु वर्ग के व्यक्ति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास निर्धारित की गई है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक न हो। आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा समग्र आईडी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। योजना का क्रियान्वयन बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। हितग्राही को बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी और टर्म लोन पर सात वर्षों तक प्रतिवर्ष पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

## नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 सितंबर को

रीवा। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन में 14 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। प्रकरणों की सुनवाई के लिए 48 खण्डपीठें गठित की गयी हैं। इनमें पीठसैन अधिकारी तथा सहयोग देने के लिए सुलहकर्ता सदस्य तैनात किये गये हैं। जिला न्यायालय परिसर रीवा के साथ-साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज एवं हनुमान में भी लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायालय में 24 खण्डपीठ, तहसील विधिक सेवा समिति मऊगंज में 6 खण्डपीठ, सिरमौर में 6 खण्डपीठ, त्योंथर में 6 खण्डपीठ एवं तहसील विधिक सेवा समिति हनुमान में 2 खण्डपीठ गठित की गयी हैं। इसके अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय, न्यायाधीश श्री आनंद गौतम तथा खण्डपीठ क्रमांक 6 में जिला न्यायाधीश श्री प्रवीण पटेल को तैनात किया गया है। इसी तरह खण्डपीठ क्रमांक 7 में जिला न्यायाधीश श्रीमती पदमा जाटव, खण्डपीठ क्रमांक 8 जिला न्यायाधीश श्री दिलीप सिंह, खण्डपीठ क्रमांक 9 में जिला न्यायाधीश श्री संदीप श्रीवास्तव, खण्डपीठ क्रमांक 10 में जिला न्यायाधीश श्री शशांक खरे, खण्डपीठ क्रमांक 11 में जिला न्यायाधीश श्री संतोष कुमार तिवारी, खण्डपीठ क्रमांक 12 में जिला न्यायाधीश श्री धर्मेश सोनी, खण्डपीठ क्रमांक 13 में जिला न्यायाधीश श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री, खण्डपीठ क्रमांक 14 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रूपासिंह कनेल तथा खण्डपीठ 15 में वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्री देवदत्त प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। इसी प्रकार खण्डपीठ 16 में न्यायाधीश श्री अश्वतथ तायल, खण्डपीठ 17 में न्यायाधीश श्री फना नागेरा, खण्डपीठ 18 में न्यायाधीश श्री ललित कुमार मईडू, खण्डपीठ 19 में न्यायाधीश सुश्री अंजली अग्रवाल, खण्डपीठ 20 में न्यायाधीश श्री अमित सिंह धुवें, खण्डपीठ 21 में सुश्री अरिंदी अग्रवाल, खण्डपीठ 22 में कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश सुश्री स्वाती रुचवंशी, खण्डपीठ क्रमांक 23 में कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश श्री दिलीप महोर, खण्डपीठ 24 में कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश सुश्री सृष्टि चौरसिया सुनवाई करेंगी। जबकि प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री शिवकान्त सिरमौर श्री संतोष चौहान, खण्डपीठ क्रमांक 36 में जिला न्यायाधीश सिरमौर अतिरिक्त श्री संजय वर्मा, खण्डपीठ क्रमांक 37 में न्यायिक मजिस्ट्रेट वरिष्ठ खण्ड सिरमौर श्रीमती नेहा रहमान, खण्डपीठ क्रमांक 38 में न्यायिक मजिस्ट्रेट वरिष्ठ खण्ड सिरमौर डॉ. श्री अलतमस रहमान, खण्डपीठ क्रमांक 39 में न्यायिक मजिस्ट्रेट वरिष्ठ खण्ड सिरमौर श्रीमती भारती केशरी करण, खण्डपीठ क्रमांक 40 में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर श्री अमित कुमार शर्मा, खण्डपीठ क्रमांक 41 में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश त्योंथर श्री दयाराम कुमरे, खण्डपीठ क्रमांक 42 में अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र त्योंथर श्री कमलेश मोण, खण्डपीठ क्रमांक 43 में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर सुश्री वंदना सोनी, खण्डपीठ क्रमांक 44 में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर श्रीमती नीपु श्रीवास्तव, खण्डपीठ क्रमांक 45 में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर श्रीमती मोहनी भदौरिया, खण्डपीठ क्रमांक 46 में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर श्री आरुतोष प्रताप सिंह, श्री विनोद कुमार चौधरी न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमान खण्डपीठ क्रमांक 47 में तथा न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमान श्रीमती कीर्ति डुवे खण्डपीठ क्रमांक 48 में प्रकरणों की सुनवाई करेंगी।